न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचोर जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री संजीव कुमार खैदड़ आ.ए.एस.

प्रकरण संख्या 03/2021

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. पुरूषोतम पुत्र अम्बाराम, 2. मोहनलाल पुत्र अम्बाराम, 3. सीतादेवी पत्नी स्व. अम्बाराम, कौम–ब्राह्मण, निवासीगण–सांचोर, तहसील–सांचोर, जिला–जालोर		1. करसन पुत्र जेठा 2. नाबालिग खुशबु पुत्री पोपट कुदरती वलीया दादी अमियों पत्नी गलाराम 3. चम्पाराम पुत्र जेठा 4. देवु पत्नी जेठा 5. नाबालिग दिव्या पुत्री पोपट कुदरती वलीया दादी अमियों पत्नी गलाराम 6. अधिशापी अधिकारी जरिये नगर पालिका सांचोर, 7. पुरा पुत्र गला 8. पारू पत्नी रायमल 9. मूंगा पुत्र गला 10. मफा पुत्र गला 11. महेन्द्र कुमार पुत्र रायमल 12. रमेश कुमार पुत्र जेठा 13. रेशमी पत्नी पोपट फौत के कायम मुकाम खुशबु, दिव्या नाबालिग कुदरती वलीया दादी अमियों पत्नी गलाराम 14. लक्ष्मण पुत्र पोपट 15. वसनाराम पुत्र रायमल 16. सुरेश कुमार पुत्र रायमल जातियान मेघवाल साकिनान सांचोर तहसील सांचोर 17. तहसीलदार(भूमिधारी)सांचोर,जिला–जालोर

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राज. भू.–राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित :–

1 श्री पुरूषोत्तम दवे,महेन्द्रकुमार वैष्णव प्रार्थीगण की ओर से।

2 श्री प्रतापाराम विश्नोई अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से।

3 श्री बाबुलाल पालडीया अप्रार्थी संख्या 1, 3, 4, 7, 8, 10 ता 12, 15 व 16 की ओर से।

4 अप्रार्थी संख्या 2,5,9,13 व 14 एक पक्षीय

निर्णय

दिनांक –12.04.2023

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Kheder
Date: 2023.04.17 17:50:08 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि प्रा[illegible] अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 आर.एल.आर. [illegible] निवेदन किया कि मौजा सांचोर पटवार हल्का सांचोर में हमारे खातेदारी व मालिका[illegible]क हकूक कब्जा काश्त का खेत खसरा नम्बर 1718 रकबा 3.32 हैक्टर किस्म बारानी द्वायम का आया हुआ है, तथा अप्रार्थी[illegible] खेत हमारे खसरा नम्बर 1718 के पूर्वी माठ से लगते खस[illegible] नम्बर 1715 व 1716 आये [illegible] अप्रार्थीगण हमेशा हमारे खेत के सेढे को नष्ट कर माठ आगे पिछे करते रहते है, इस हेतु प्रार्थी[illegible] ने पूर्व में तहसीलदार सांचोर को खेत की पैमाईश हेतु आवेदन दिनांक 19.05.2021 को किया था, जिस पर तहसीलदार सांचोर द्वारा हल्का पटवारी सांचोर व भू.अ.निरीक्षक सांचोर ने दिनांक 01.06.2021 को खेत खसरा नम्बर 1718 रकबा 3.32 हैक्टर की पैमाईश कर सीमाज्ञान करवाया जिस पर

सहायक कलेक्टर, सांचौर
[illegible] अधिकारी, सांचोर

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थीगण ने माठ कायम नही करनें दी तथा अप्रार्थीगण ने उनके खेत खसरा नम्बर 1715 की पैमाईश करवाई जो हल्का पटवारी सांचोर व भू.अ.निरीक्षक अरणाय द्वारा की गई उसके वावजुद भी अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 1718 के पूर्वी दिशा की माठ कायम करनें नही दी। ऐसी सुरत में प्रार्थीगण उपरोक्त खेत की स्थाई सीमा पत्थरगढी करवा कर सीमा विवाद का निपटारा करना चाहता है।

प्रार्थना पत्र दिनांक 13.07.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण 1 ता 17 को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 6 नगर पालिका सांचोर एवं अप्रार्थी संख्या 17 तहसीलदार साचोर की ओर से जवाब पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया अप्रार्थीगण 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11 व 12, 15 व 16 की ओर से जवाब पेश किया, जो शामिल पत्रावली किया गया तथा अप्रार्थी संख्या 2, 5, 9, 13 व 14 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई, अप्रार्थी संख्या 6 नगर पालिका सांचोर एवं अप्रार्थी संख्या 17 तहसीलदार साचोर द्वारा प्रस्तुत जवाब में प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर समर्थन किया अप्रार्थीगण 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11 व 12, 15 व 16 ने प्रार्थना पत्र का विरोध करतें हुए अस्वीकार करनें का निवेदन किया तथा कथन किया कि खसरा नम्बर 1718 रकबा 3.32 हैक्टर मौजा सांचोर साबिका खसरा नम्बर 230 रकबा 75 बीघा 3 बीस्वा का भू भाग है। जिसके सम्बंध में राजस्व वाद वास्ते घोषणा खातेदारी का सहायक कलेक्टर सांचोर मे लम्बित है। तथा प्रार्थीगण ने पूर्व में पुरानी माठ को तोड़ा उसके प्रकरण पुलिस थाना सांचोर में दर्ज रजिस्ट्रर होकर जैर अनुसंधान है, तथा मौके पर कोई नाप या सीमाकंन उनके सामने नही हुआ, इस प्रकार प्रार्थी के कथनों को अस्वीकार किया।

उभयपक्ष को सुना गया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन एवं अवलोकन किया गया, पत्रावली पर उपलब्ध पूर्व मौका फर्द सीमांकन दिनांक 01.06.2021 अनुसार प्रार्थीगण द्वारा खेत खसरा संख्या 1718 का सीमांकन करवाया गया, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा माठ कायम नही करने दी गई, अप्रार्थी द्वारा उनके खेत खसरा संख्या 1715 की पैमाईश दिनांक 12.06.2021 की मौका फर्द अनुसार सीमाकंन किया गया था, जबकि जवाब में अप्रार्थीगण द्वारा विवादीत खेतों का नाप तोल उनके सामने नही होना एवं अस्वीकार किया। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक इस्तगासा दिनांक 17.07.2021 को पुलिस थाना सांचोर में पेश कर अनाधिकृत रूप से अतिचार करने एवं शान्तिभंग करने की पेश की थी, जिसका प्रकरण न्यायालय सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट सांचोर में जरिये मुकदमा संख्या 175/2021 दर्ज होकर निर्णय दिनांक 13.09.2021 को हुआ, जिसकी आदेशिका एवं मुचलके पेश किये जिसके अनुसार अप्रार्थीगण ने उपरोक्त इस्तगासा की ईबारत व आरोप स्वीकार किये। अप्रार्थी संख्या 06 नगर पालिका सांचोर ने अपने जवाब में उपरोक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का समर्थन किया, तथा अप्रार्थीगणों को नगर पालिका की तालाब की भूमि जो अप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 1715 व 1716 के पूर्वी माठ से लगती हुई खसरा संख्या 1707, 1709 व 1714 गैर मुमकिन नाडी जो राजस्व रेकर्ड में नगर पालिका के नाम दर्ज है, उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा अतिक्रमण कर कब्जा करना बताया है, एवं खसरा संख्या 1715 व 1716 के पूर्वी माठ की पत्थरगड्डी करवाने का निवेदन किया। अप्रार्थी संख्या 17 तहसीलदार सांचोर ने भी अपने जवाब में प्रार्थीगण के कथनों का स्वीकार किया। इसप्रकार पत्रावली पर उपलब्ध पूर्व पैमाईश रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगणों के खेतों की पूर्व में तहसीलदार सांचोर [illegible] जाना प्रतीत है, लेकिन फिर भी इस पैमाईश को अप्रार्थीगण नही मानकर माठें तोड़ना प्रतीत होता है, अप्रार्थीगण भी अपने जवाब में विवाद होना स्वीकार करते है, ऐसी सूरत में उक्त खेतों की [illegible] पत्थरगड्डी किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है। तथा [illegible] एवं नक्शा में तरमीम अनुसार पत्थरगड्डी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी[illegible] प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

लगातार

सहायक कलेक्टर, सांचौर
([illegible]अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Kheder
Date: 2023.04.17 17:50:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है, कि मौजा सांचोर पटवार हल्का सांचोर में प्रार्थीगण के खातेदारी व मालिकाना हक हकूक कब्जा काश्त का खेत खसरा नम्बर 1718 रकबा 3.32 हैक्टर किस्म बारानी दोयम भूमि के पूर्व दिशा की माठ तहसीलदार सांचोर मौके पर पत्थर गड्डी/नेखमबन्दी नवीनतम नाप प्रणाली जी.पी.एस. मशीन से कर पालना से न्यायालय को अवगत करावे। पत्थरगड्डी/नेखमबन्दी करते समय अशान्ति होने की स्थिति में पुलिस इमदाद लेकर पत्थरगड्डी/नेखमबन्दी कर स्थायी हल किया जावे। इस आशय की तहरीर तहसीलदार सांचोर को जारी हो। पक्षकार खर्चा अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 12.04.2023 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(संजीव कुमार खैदड आर.ए.एस.)
(उपखण्ड अधिकारी, सांचोर)

सहायक कलेक्टर, सांचोर
उपखण्ड अधिकारी, सांचोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjeev Kumar Kheder
Date: 2023.04.17 17:50:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner